संख्या-16/2021-668/58-2021-171/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4401-119-03-0302-राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण योजनान्तर्गत पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं सयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रु0-2.00 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-134/बजट/2020-21, दिनांक-05.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण योजनान्तर्गत निम्न तालिका में वर्णित मशीने/संयंत्र क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0-2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	कृषि यंत्र/मशीन का नाम	मेक एवं माडल का नाम	क्रय की जाने वाली सं0	क्रय पर संभावित व्यय की धनराशि	अभ्युक्ति
1	पावर स्प्रेयर	किसान क्राफ्ट मैनुअल बैक कैरिंग स्प्रेयर 15ली0(KK-BBS-4185)	01 अदद	5141.00	राजभवन उद्यान में स्थित किचेन गार्डेन में सब्जियों एवं फल वृक्षों पर छिड़काव हेतु।
2	लान मोवर	किसान क्राफ्ट पुश बटन स्टार्ट (KK-LME-1000)	01 अदद	11970.00	राजभवन उद्यान के लानों में घास कटाई हेतु।
3	चेन शा	किसान क्राफ्ट कारबाईड ट्रिप्ड ब्लैड (FB-CSE-2418)	02 अदद	16378.00	राजभवन उद्यान के वृक्षों की कटाई- छटाई हेतु।
4	पावर स्प्रेयर	किसान क्राफ्ट मैनुअल बैक कैरिंग स्प्रेयर 20ली0(KK-708X)	01 अदद	18500.00	राजभवन उद्यान में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु।
5	पूनर	किसान क्राफ्ट पाम हारवेस्टर (KK-PH2-15)	01 अदद	34920.00	वृक्षों के अनावश्यक रूप से बढ़े हुए टहनियों को काटने हेतु।
6	ब्रश कटर	(KK-BC-8665)	02 अदद	45590.00	राजभवन उद्यान में अनवांछित झाड़ी आदि की कटाई हेतु।
7	पावर ट्रीलर	किसान क्राफ्ट पावर ट्रीलर (KK-IC-203)	01 अदद	67500.00	राजभवन में स्थित किचेन गार्डेन की जुताई हेतु।
		योग-		**199999.00**	

(1) प्रश्नगत स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1- 149-दस-2020-231/2020, दिनांक 24.3.2020, संख्या-4/ 2020/बी-1- 192-दस-2020-231/2020, दि0-07.4..2020, संख्या-5/ 2020/बी-1- 196-दस-2020-231/2020, दिनांक 11.4..2020 तथा संख्या-6/2020/बी- 1-218-दस-2020-231/2020, दिनांक 18.5.2020 में दी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों/प्रकिया के अधीन होगी।

http://bhasanadesh.up.gov.in

(2) उपकरणों आदि का क्रय मूल्य जेम पोर्टल के अनुसार न्यूनतम होगा, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) उपकरणों आदि का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-02 के संगत शासनादेश में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) उपकरणों आदि का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-02 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उपकरणों आदि हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरण आदि किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से क्रय न किया गया हो अर्थात इसकी द्विरावृत्ति न हो।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4401-119-03-0302-राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण योजनान्तर्गत पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी- 1-149-दस-2020-231/2020, दिनांक 24.3.2020, संख्या-4/2020/बी-1-192- दस-2020-231/2020, दिनांक-07.4..2020, संख्या-5/2020/बी-1-196-दस-2020-231/ 2020, दिनांक 11.4..2020 तथा संख्या-6/2020/बी-1-218-दस- 2020-231/2020, दिनांक 18.5.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-16/2021-668(1)/58-2021 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) अधीक्षक, राजभवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://sinasandesh.up.gov.in